न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 69/2019 प्रार्थना पत्र

मांगू रेगर पिता पेमा उर्फ मेघा रेगर, उम्र 50 साल, निवासी बरड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>

निर्णय दिनांक 19.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा बडोली घाटा की खाता संख्या 267 की आराजी नं. 1415, 1416, 1417 कुल किता 3 कुल रकबा 2.5400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने आराजी नं. 902, 903, 903 मी कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा है। प्रार्थी के पिता का नाम पेमा है इसलिए सारे दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मांगू रेगर पिता पेमा रेगर है तथा जमाबन्दी संवत 2033-36 तक में प्रार्थी के पिता का नाम पोम पिता देवा अंकित चला आ रहा था। बाद में रोटेशन बदला तो संवत 2037-40 में प्रार्थी के पिता का नाम पेमा के स्थान पर मेघा पिता देवा दर्ज हो गया जो कि राजस्व कर्मचारियों की त्रूटी से दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही व रेकार्डेड नाम पेमा पिता देवा है और यही नाम आज भी प्रार्थी के दस्तावेजों में चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम पेमा पिता देवा रेगर दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए प्रार्थी के पिता का नाम पेमा पिता देवा रेगर दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के जवाब हेतु उपस्थित नहीं हुए।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2033-36 ग्राम बडोली घाटा की खाता संख्या 136, नकल जमाबन्दी संवत 2037-40 ग्राम बडोली घाटा की खाता संख्या 148 व मिलान क्षेत्रफल ग्राम बडोली घाटा की प्रमाणित प्रति, पटवार हल्का बडोली घाटा की

Web Copy - Not Official

रिपोर्ट दिनांक 06.05.19 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार निम्बाहेड़ा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2019की प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम बडोली घाटा की खाता संख्या 267 की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत गादोला द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.03.2019 की असल प्रति, मांगु पिता पेमा रेगर, नारायण पिता पेमा रेगर, जीवन पिता मांगीलाल नायक के शपथ पत्र एवं प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत किये हैं। संवत 2033–36 की नकल जमाबन्दी में मगना, शिवराम, दोला, प्यारा, पेमा पिता देवा रेगर, सा. बरडा बोरखेड़ी दर्ज रेकार्ड है। अगले रोटेशन में संवत 2037–40 की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 148 में उक्त आराजीयात के खातेदारान का नाम मगना, शिवराम, दोला, प्यारा, मेगा पिता देवा रेगर, सा. बरडा बोरखेड़ी दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम पूर्व रोटेशन आगामी रोटेशन के मध्य बदल गया जबकि नकल जमाबन्दी में इस प्रकार के किसी अंकन का कोई आदेश अथवा इन्तकाल अंकित नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि बिना किसी आदेश के त्रुटीवश उक्त अंकन किया गया है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम पेमा पिता देवा रेगर ही है। ग्राम पंचायत गादोला द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी पेमा व मेगा एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के आधार कार्ड में भी पिता का नाम पेमा ही अंकित है। इस प्रकार संवत 2037–40 के रोटेशन में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से गलत अंकित हो जाना प्रकट होता है। पटवार हल्का की रिपोर्ट एवं गवाहों के शपथ पत्रों से भी इसकी ताईद होती है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके मौजा बडोली घाटा की खाता संख्या 267 की आराजी नं. 1415, 1416, 1417 कुल किता 3 कुल रकबा 2.5400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी खातेदार के पिता का नाम मेघा पिता देवा के स्थान पर पेमा पिता देवा रेगर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 17:18:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: